कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) -2713724 फोन नं0 (0135) – 2713551

संख्या 331 /XXV–12(P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 2026

पंजीकृत

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र सिंह थापा,
174–पंडितवाडी–प्रेमनगर
जिला देहरादून। पिन–248001
मो0–9897866488

विषय– **सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 05.03.2026 इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2026 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में लोक सूचना अधिकारी, इस कार्यालय के पत्र संख्या–99 दिनांक 22.01.2026 एवं पत्र संख्या–264 दिनांक 23 फरवरी, 2026 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त सूचना से असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– उक्त अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु **दिनांक 17 मार्च, 2026 की तिथि समय–11:00 बजे पूर्वान्ह** निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़, देहरादून द्वारा अपील पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। अथवा ऑनलाइन गूगल मीट **https://meet.google.com/kwy-wybi-dwx** के माध्यम से उक्त तिथि एवं समय पर अपील में प्रतिभाग कर सकते हैं।

भवदीय,

Digitally signed by MASTU DAS
Date: 09-03-2026 15:40:08

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या– 331 /XXV– 12(P-15)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि–अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्राप्त - 05/03/26 (70)
4:25 PM

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 (1) के अधीन
प्रथम अपील दि० 5/3/26

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी / अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर
4 - सुभाष रोड - देहरादून - 248001.

महोदय।

1 - यह कि, इस अपीलकर्ता ने अपने सूचना के आवेदन 12/02/2026 द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित पत्र का संज्ञान लेते हुए तथा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित 4 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी,

देखें संलग्नक-01 हमारा सूचना का आवेदन 12/02/2026

2 - यह कि लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी श्री बसंत सिंह रावत, कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र पत्रांक-264/XXV-12(P-14)/2021 देहरादून दि. 23/02/2026 द्वारा निम्न कथन करते हुए कि - " उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके वर्णित पत्र से सम्बन्धित सूचनाएं आपको इस कार्यालय के पत्र सं-99 दि. 22/01/2026 के द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान समय में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है,

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु जनपद स्तर पर एक एक लोक सूचना अधिकारी तैनात / नामित हैं। सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है। "

देखें संलग्नक-02 लो०सू० अधि० का उत्तर पत्र 23/02/2026

लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना पर आपत्तियाँ —

1 - यह कि लोक सूचना अधिकारी का कथन कि, आपके वर्णित पत्र से सम्बन्धित सूचनाएं आपको इस कार्यालय के पत्र सं- - - - 22/01/2026 द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है — "

क्रमशः?

उक्त पर हमारी आपत्ति है कि सूचना के आवेदन 12/02/2026 से पूर्व दि० 22/01/2026 को दी गयी सूचना का वर्तमान सूचना के आवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपके विभाग द्वारा 22/01/2026 को जो सूचना/एस.आई.आर. की प्रक्रिया सम्बन्धी/मैपिंग सम्बन्धी जानकारी के पृष्ठ दिये गये, उनमें दी गयी व्यवस्था को स्पष्ट जानने हेतु ही हमारे द्वारा सूचना का आवेदन लगाया गया था क्योंकि उसमें दी गयी सूचना में हमारे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं था, जो पीड़ित नागरिकों द्वारा हमारे संज्ञान में लाये गये थे. इसी कारण हमारे द्वारा आपके सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 5 बिन्दुओं पर धरातल पर सामना की गयी समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनका समाधान अथवा लिखित व्यवस्था सम्बन्धी दस्तावेजों की अपेक्षा की गयी थी तथा साथ ही शासन स्तर से पाँचों बिन्दुओं पर समाधान निकालने हेतु निवेदन भी किया था,

इस जानकारी का "वर्तमान समय में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के प्रारम्भ होने या न होने से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि प्रश्न/शंकाएं भी उठ गई हैं, इस लिये आवेदित सूचना देना भी शासन/निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा ही संभव है

यह भी अवगत कराना है कि हम अपने आवेदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि आवेदित सूचनाएं व्यापक जनहित एवं देश हित से सम्बन्धित हैं, अतः यदि वर्तमान में हमारी जानकारियों का उत्तर/सूचना लोक प्राधिकारी के पास धारित नहीं है तब हमारी आवेदित सूचनाओं में उठाई गयी पृच्छाओं को शासन/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समाधान एवं निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना तथा उसकी प्रति हमें भी उपलब्ध कराना आवश्यक था,

2- यह भी कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह कथन करना कि "उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु जनपद स्तर पर एक-एक-लोक सूचना अधिकारी तैनात/कार्यरत हैं। संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार/सूचना प्राप्त की जा सकती है।"

लोक सूचना अधिकारी का यह कथन, आवेदित जिस बिन्दु की सूचना

क्रमशः

के सापेक्ष किया गया है, स्पष्ट नहीं है, तथा यह भी कि सूचना नीतिगत विषय से सम्बन्धित है, इस लिये अधीनस्थ/जनपदीय कार्यालयों से अधिक इसका सम्बन्ध शासन/मुख्यालय स्तर से है, अतः लोक सूचना अधिकारी का सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालयों से सूचना मांगने का सुझाव आवेदक को देना असंगत एवं भ्रामक कथन है

3 - यह अवगत कराना है कि, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रश्नगत अधिनियम की धारा-2(h) के अधीन एक ही "लोक प्राधिकारी" है, उसके जनपदों के कार्यालय अलग अलग 'लोक प्राधिकारी' न होकर उसके अधीनस्थ कार्यालय हैं, जिनमें धारा-6 (3) का अंतरण अनुमन्य नहीं है, तथा यदि सूचना किसी अधीनस्थ कार्यालय में भी धारित हो तो, उसे धारा- 5(3) व (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर अपने स्तर से उपलब्ध करायें,

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि आवेदित सूचनांए 'लोक प्राधिकारी' के मुख्यालय स्तर से ही दी जानी संभव है तथा यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय में संभव है तो आपके लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे धारा-5(3) व (4) के प्रावधान के अधीन प्राप्त कर अपने ही स्तर से उपलब्ध कराया जाना है इस सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय का निम्न निर्णय अंतिम एवं मार्गदर्शक है-

CPIO of Supreme Court of India v/s Subhash Chandra Aggarwal, Civil Appeal-10044/2010 with Civil Appeal 10045/2014 & CA No 2683/2010 में पृष्ठ-15 पर Point No-1 - whether the Supreme Court of India and the Chief Justice of India are two separate Public Authority ? पर विचारण करते हुए आदेश के बिन्दु-14 पर निर्धारित किया है -

"The Supreme Court of India, which is a 'Public Authority' would necessarily includes the office of the Chief Justice of India and the Judges in view of Article-124 of the Constitution. The office of the Chief Justice or for that matter the Judges is not separate from the Supreme Court, and is part and parcel of the Supreme Court as a body, authority and institution. The Chief Justice and the Supreme Court are not two distinct and separate 'Public Authorities'. ---"

"Para-23 - In view of this, the question of transferring an application under section-6(3) of the Right to Information Act, by the CPIO of the Supreme Court can not arise. It is the duty of the CPIO to obtain the information that is held by or available with the Public Authority. Each of the section or department of a Public Authority can not be treat as a separate

Contd

or distinct Public Authority. If any information is available with one section or the department, it shall be deemed to be available with the Public Authority as one single entity."

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि धारा-6(3) का अन्तरण एक ही Public Authority के अधीनस्थ कार्यालयों में नहीं किया जा सकता है तथा यदि आवेदित सूचना Public Authority के अधीनस्थ या उच्चस्थ जिस किसी भी कार्यालय/खण्ड में धारित हो, उसे धारा-5(3) व (4) के प्रावधानों के अधीन प्राप्त कर उपलब्ध कराना लोक सूचना अधिकारी की बाध्यता है।

4- यह भी अवगत कराना है कि, उत्तराखण्ड राज्य में 'लोक प्राधिकारी' कौन होंगे, इसके लिये, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा, अपर मुख्य सचिव एवं समस्त प्रमुख सचिवों को भेजे गये शासनादेश सं-04/सू॰अ॰प्र॰/XXXI(13) G/2007 दि॰ 18 मई 2007 द्वारा पूर्व के शासनादेश दि॰ 20 जुलाई 2005 के बिन्दु-2 में उल्लिखित 'लोक प्राधिकारी' कौन होंगे, इसे निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार (i) सचिवालय के शासन के समस्त विभाग लोक प्राधिकारी हैं तथा (ii) शासन के समस्त 'निदेशालय' 'लोक प्राधिकारी' हैं

(देखें उपरोक्त शासनादेश)

अतः उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, सूचना मुख्यालय/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के कार्यालय स्तर से ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें

5- यह भी कि हमने सूचना के आवेदन में निवेदन किया था कि जानकारी व्यापक जनहित में मांगी जा रही है। यदि उपरोक्त सूचनाओं से सम्बन्धित कोई जानकारी दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं है, तब निवेदन है कि ऐसी इच्छाओं का समाधान शासन स्तर से निकालते हुए हमें भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह सूचना के अधिकार से बाहर निवेदन था, इसे सूचना के अधिकार के अधीन अतिरिक्त रूप में न मांग कर एवं निवेदन के रूप में मांगा गया था, अच्छा होगा कि एक 'कल्याणकारी राज्य' या good governance के रूप में शासन इस पर कोई हल/नीति निकालकर हमें उपलब्ध कराता, जो नहीं किया गया है, यद्यपि यह हमें आज भी अपेक्षित है, और इसको सूचना के अधिकार से अतिरिक्त निवेदन माना जाये।

मांगा गया अनुतोष - उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेकर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें

मांगे गये अनुतोष का आधार - देखें धारा-4, धारा-7(1), धारा-5(3) व (4) का प्रावधान।

संलग्नक -
(1) हमारा आवेदन 12/02/2026
(2) लो॰ सू॰ अधि॰ का पत्र 23/02/2026

[signature]
सुरेन्द्र सिंह थापा
संगठन सचिव
174 पंडितवाड़ी, शाहपुर
शहीद कविन्द्र थापा मार्ग, निकट काली मन्दिर
प्रेमनगर-देहरादून-248001
9897866488

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 के अधीन आवेदन

दि॰ 12 फरवरी 2026

समक्ष

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी-उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल

सचिवालय परिसर - 4 सुभाष रोड़-देहरादून-248001

<u>माँगी गयी सूचना का विवरण -</u>

सूचना के इस आवेदन के साथ हमारे द्वारा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित पत्र दि॰ 3/2/2026 को संज्ञान लें जिसके माध्यम से हमारे द्वारा नागरिकों की समस्याओं/जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग को बिन्दुवार जानकारी दी गयी थी, जो कि वर्तमान में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) से ही सम्बन्धित है तथा समस्या केवल प्रदेश की ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत से संबन्धित है। उक्त पत्र संज्ञान लेते हुए व्यापक जन हित में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायें

(1) जो नागरिक उत्तराखण्ड में वर्ष 2000 के बाद 15-20 वर्षों से निवासरत हैं, स्वंय/उनके पूर्वजों के अतिरिक्त प्रदेश की मतदाता सूची में नाम भी नहीं है ऐसी अवस्था में सम्बन्धित व्यक्ति से वर्ष 1987 से निवास का प्रमाण माँगा जाना, जिस विधि/नियम में निर्दिष्ट है उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें

(2) इस प्रदेश में वर्षों से निवासरत भू-अभिलेखों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं है (विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति) ऐसे व्यक्तियों से भू-अभिलेख के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों को मान्यता दी है, उन सभी दस्तावेजों की सूची को चिन्हित करते हुए, सूचना प्रदान करने का कष्ट करें,

(3) जिन बच्चों के पिता के भारतीय सेना के रिकार्ड में नेपाल का पता लिखा है, वे बच्चे और उनके माता पिता भारत में ही बस गये हैं तथा बच्चों का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा भारत में ही हो रही है, ऐसे सभी बच्चों के नाम SIR प्रक्रिया में शामिल करने हेतु एवं वोटर पहचान पत्र बनाने हेतु जो भी प्रावधान निर्दिष्ट हैं/विचाराधीन हैं, उन सभी को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध करायें,

(4) नेपाल से विवाह कर लायी गयी वधुओं को जिन दस्तावेजों के आधार पर एस. आई. आर. प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा, उन सभी दस्तावेजों की सूची चिन्हित करते हुए उपलब्ध करायें,

महोदय! उपरोक्त सूचनाओं/जानकारियों को व्यापक जनहित में माँगा जा रहा है, यदि उपरोक्त सूचनाओं से सम्बन्धित कोई जानकारी दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं तब निवेदन है कि ऐसी पृच्छाओं का समाधान शासन स्तर से निकालते हुए हमें भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न- 10/- का Postal order NO- 72F 990409

नोट- इस पोस्टल आर्डर का शीर्षक खाली छोड़ा गया है लो. सू. अधि. से अपेक्षा है कि अपने कार्यालय में प्रचलित लेखाशीर्षक का अंकन कर भुगतान प्राप्त करें।

केन्द्रीयकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी

26

12/2/26

भवदीय

सुरेन्द्र सिंह थापा

संगठन सचिव

174 पंडितवाड़ी शाहपुर

शहीद कपिल थापा मार्ग, निकट काली मन्दिर

प्रेमनगर-देहरादून-248001

9897866488

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) 2713724 फोन नं0 (0135) – 2713551

संख्या 264 /XXV–12 (P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2026

सेवा में, पंजीकृत

श्री सुरेन्द्र सिंह थापा,
174–पंडितवाडी–प्रेमनगर
जिला देहरादून। पिन–248001
मो0–9897866488

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 12.02.2026 इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना की मांग की गई है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके वर्णित पत्र से सम्बन्धित सूचनायें आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या–99 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा पूर्व ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान समय में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु जनपद स्तर पर एक–एक लोक सूचना अधिकारी तैनात/कार्यरत हैं। सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

Digitally signed by BASANT SINGH RAWAT
Date: 20-02-2026 12:12:44

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591